प्रतिलिपि पत्र संख्या ई.स.1744/जी.एस. दिनांक 16.08.2003 द्वारा कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ।

आपके पत्र संख्या-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2791/03, दिनांक 24.7.2003 एवं पत्र संख्या-2733 दिनांक 18.7.2003 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के संबंध में उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन सरस्वती महिला महाविद्यालय, विजय नगर कानपुर को स्नातक कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र एवं स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2003 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र बी में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय में परिनियम संख्या-13.22 में अनुपालन में कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है ।
3. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2- 2003-16 (92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./3040 /2003 दिनांक- 26-8-2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव,प्रबन्ध समिति, सरस्वती महिला महाविद्यालय, विजय नगर कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । सत्र 2003-2004 से कक्षायें संचालन हेतु माननीय कुलपति जी ने बायोग्रप हेतु दो सेक्शन तथा गणित ग्रुप में दो सेक्शन (60 छात्रायें प्रति सेक्शन) कुल 240 छात्राओं के प्रवेश की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान करने की कृपा की है कि प्रवेश प्रकिया दिनांक 31.8.2003 तक सम्पन्न कर ली जाए ।
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय), सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर विभाग,सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई.डी.पी.सेन्टर, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(डा0वी0के0पाण्डेय)
कुलसचिव